



हो सकता है कि दुनियाभर में उड़ने वाले कीट-पतंगों की संख्या में चिंताजनक कमी आ रही हो, लेकिन एक अच्छी खबर है कि, एक तितली की संख्या में फिर से वृद्धि होने लगी है। तितली की एक प्रजाति, लार्ज टॉरेंटिस शील बटरफ्लाई, जो विश्वयुद्ध के बाद अज्ञात कारणों से ब्रिटेन में लुप्त हो गई थी, अब फिर से दिखने लगी है। माना जा रहा है कि, यदाकदा यूरोप के अन्य देशों से ब्रिटेन में इनका जो आगमन हुआ उसके कारण एक बार फिर ब्रिटेन में इनकी ब्रीडिंग कॉलोनीज बन गई। तितली विशेषज्ञ नील ह्यूम ने कहा, कई शोकिया ब्रीडर्स तितलियों को अनाधिकृत रूप से रिलीज करके काम बिगाड़ते हैं। ह्यूम कई वर्षों से इस रहस्यमय जीव की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि, इतनी बार इन तितलियों की प्रमाणिक साइटिंग हुई है कि, यह नहीं कह सकते कि ये सब संरक्षित प्रजनन केन्द्रों वाली तितलियाँ हैं। इस वर्ष गर्मी में ईस्ट ससैक्स के तीन वर्ग मील क्षेत्र में इस तितली के लार्वा के तीन झुंड मिले थे और हाल ही में उस जगह नव वयस्क तितलियाँ देखी गई हैं। ह्यूम का कहना है कि, वर्ष 2007 में यूरोप के कई भागों से ब्रिटेन में जो बड़ा माइग्रेशन हुआ वो इनकी वापसी का कारण हो सकता है। हालांकि आइल ऑफ वाइट में स्थापित ब्रीडिंग कॉलोनी खत्म हो गई, लेकिन इस वर्ष फिर इस द्वीप पर यह तितली देखी गई है। इसके अलावा नॉर्थ केंट के एल्मली नेशनल रिजर्व में भी ये तितलियाँ देखी गई हैं। धरती का बढ़ता तापमान दुनियाभर में चिंता का विषय है पर इसी वजह से यह खूबसूरत तितलियाँ ब्रिटेन में बस रही हैं।

‘प्रदेश की सभी बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वोटर होना जरूरी है परंतु जिस रवैये से यह चुनाव हो रहा है उस रवैये से जाहिर हो रहा है कि, एसोसिएशन चाहती है कि, कई लोग चुनाव नालें। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि, द बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2022 को फैसला दिया था। उसके बाद द बार एसोसिएशन, जयपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने किन्हीं अन्य बार एसोसिएशन में केवल शपथ पत्र ही दिया था और मतदान नहीं किया था। ऐसे में उन्हें इस चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। बी.सी.आर. के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि, “वन बार वन वोट” के पालन में ही चुनाव समिति शपथ पत्र मांग रही है। बी.सी.आर. की ओर से यह भी कहा गया कि, कई

वकील झूठे शपथ पत्र भी दायर करते हैं। बी.सी.आर. की ओर से कहा गया कि, प्रत्येक बार एसोसिएशन का अलग-अलग संविधान है और समितियों के चुनाव की तारीख भी अलग-अलग हैं। इसलिए अदालत यह तय कर दे कि जिन वकीलों ने एक वर्ष में एक बार के लिये वोट दिया है, वो उस समिति के कार्यकाल या उस वर्ष में होने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। इस पर खंडपीठ ने कहा कि, इस समस्या का समाधान यही है कि, सभी बार एसोसिएशन में एक ही तारीख को चुनाव हो। दरअसल अपीलों में बार एसोसिएशन के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव में 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में लिए जा रहे शपथ पत्र को शर्त को चुनौती दी गई है।

‘2024 में एन.डी.ए...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पी. आम तौर से उस दल या गठबंधन को अपना समर्थन देती हैं, जो केन्द्र में सरकार बनाता है, वहीं भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.) अपने भाजपा-विरोधी रूख के लिये जानी जाती है। अगर बी.आर.एस. के वोट शेयर को अनुमानतः 1.15 प्रतिशत मान लिया जाये, तथा उसे इंडिया ब्लॉक ब्लॉक के शेयर में शामिल कर दिया जाये, तो विपक्षी खेमे का कुल वोट शेयर बढ़कर 41.35 प्रतिशत हो जाता है- अर्थात् एन.डी.ए. के वोट शेयर से मात्र 1.25 प्रतिशत कम। अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं ऐसे में कोई भी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि संवेदनशील या अचानक होने वाले तत्वों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि

विदित ही है, ये चीजें देश के राजनैतिक माहौल को बदलने की क्षमता रखते हैं- ठीक वैसे ही, जैसे पुलवामा तथा बालाकोट की घटनाओं ने 2019 में प्रवाह को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया था। इस समय केवल इतना ही कहा जा सकता है- विपक्षी दलों के पक्ष में बेहतर अवसर उभर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए, खासतौर से हिन्दी भाषी राज्यों में, वोट शेयर को सीटों का रूप देना एक बड़ी चुनौती होगी। जहाँ भाजपा के वोट मुख्यतः हिन्दी भाषी राज्यों में घनीभूत हैं, वहीं इंडिया के वोट पूरे भारत में फैले हुए हैं। आगामी महीनों में, विपक्षी गठबंधन को ए अखिल भारतीय सक्रियता बनाने तथा उसे बनाये रखने की जरूरत होगी, ताकि 2024 में भाजपा को एक भरोसेमंद टक्कर दी जा सके।

‘बिहार कास्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) स्टे नहीं देगा, जब तक इसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस न बने। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केन्द्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को सात दिन में इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने की अनुमति दी। दरअसल, मेहता ने कहा था कि इस सर्वे के कुछ अवांछित परिणाम सामने आ सकते हैं। मेहता ने कहा था, “हम इस या उस पक्ष के समर्थक नहीं हैं। लेकिन इस कथन के कुछ (अवांछित) परिणाम हो सकते हैं, इसलिये हम अपना जवाब पेश करना चाहेंगे। लेकिन वे परिणामों के विस्तार में नहीं गये।

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। सरकार चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर आत्मविश्वास से भरी है और उसका लक्ष्य अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव मिशन भेजना है जिसके पहले एक कुत्रिम मेधा रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र पर लगे गोपनीयता के पर्दे

धरना-प्रदर्शन के लिए शहर को चार भागों में बांटा, दिन में चार घंटों के लिए मिलेगी अनुमति

जयपुर, 21 अगस्त। राज्य सरकार ने शहर में होने वाले धरने-प्रदर्शन और रैली के कारण वाले जाम को रोकने के लिए शहर को चार भागों में बांट दिया है और प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से हर जाम में कुछ जगहें चिह्नित की हैं। सरकार ने यह फैसला भी किया है कि कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न चार बजे से शाम 8 बजे तक धरना-प्रदर्शन नहीं दी जाएगी।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में, धरना प्रदर्शन के कारण होने वाले जाम से बचने का रोडमैप प्रस्तुत किया

कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात 8 बजे तक धरना-प्रदर्शन या रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चार घंटे की अवधि में ही धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा।

जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि धरने-प्रदर्शन और रैली के लिए जयपुर पूर्व में दो हजार तक की भीड़ के लिए महामा गांधी

स्टेडियम, बस्सी, पांच हजार तक की भीड़ के लिए दशरा मदान, आदर्श नगर और सूरज मदान आदर्श नगर का चयन किया गया है और पांच से दस हजार तक की भीड़ के लिए रामलीला मैदान, एमआइ रोड को चयनित किया है। जयपुर पश्चिम में दो हजार तक की भीड़ के लिए करधनी स्कीम पार्क, पांच

भाजपा सांसद सनी देओल के बंगले की नीलामी एन वक्त पर रद्द की गई

बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन डिफॉल्ट मामले में तकनीकी कारणों का हवाला देकर बंगले की नीलामी का नोटिस वापस लिया

नई दिल्ली, 21 अगस्त। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहु स्थित बंगले की नीलामी रोक दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपये वसूली के लिए सनी देओल के बंगले को नीलामी करने का नोटिस जारी किया था लेकिन अब बैंक ने उस ई-ऑक्शन को नोटिस को वापस ले लिया है। बैंक ने इसकी पीछे तकनीकी कारण बताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इस यू-टर्न पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने चुटकी ली है और तंज कसा है कि 24 घंटे के अंदर यह तकनीकी कारण कहां से आ गया।

बैंक ने सनी देओल के 56 करोड़ रु. का बाला नीलाम करने का नोटिस जारी किया था तथा 25 अगस्त नीलामी होना तय थी।

कॉंग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, कल दोपहर में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहु में स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने

बैंक का 56 करोड़ रुपये नहीं चुकाया है। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि ऐसे कौन से तकनीकी कारण हैं, जिसके कारण यह फैसला बदला गया। उन्होंने सवाल किया, आखिर इन तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए किसने प्रेरित किया? बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सनी देओल को संपत्ति को नीलामी के लिए रखा था। यह नीलामी 25 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से की जानी थी।

इसरो की 2024 में मानवयुक्त स्पेस मिशन भेजने की योजना है

इसरो इसके लिए स्टैप बाई स्टैप आगे बढ़ने का मिशन शुरू करने जा रहा है, पहला स्टैप-2023 के अंत में मानवरहित स्पेस मिशन, दूसरा स्टैप-2024 की शुरुआत में स्पेस में रॉबोट मिशन तथा तीसरा स्टैप-2024 के आखिरी महीनों में मानवयुक्त स्पेस मिशन

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, इसरो का अगला मिशन गगनयान है। इसके लिए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में एक मानवरहित यान भेजा जाएगा। अगले वर्ष की शुरुआत में कुत्रिम मेधा युक्त रोबोट ‘वायुमित्र’ को भेजा जाएगा और इसकी सफलता एवं अध्ययन के बाद वर्ष 2024 के उत्तरार्द्ध में मानव मिशन भेजा जाएगा।

चंद्रयान-3 के मिशन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रयान मिशन इस बार निश्चित रूप से कामयाब होगा और यह तय अवधि से अधिक काम करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण की योजना में समय अवश्य लगा है लेकिन इससे खर्च कम

मिशन गगनयान है। इसके लिए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में एक मानवरहित यान भेजा जाएगा। अगले वर्ष के पूर्वार्द्ध में कुत्रिम मेधा युक्त रोबोट ‘वायुमित्र’ को भेजा जाएगा और इसकी सफलता एवं अध्ययन के बाद वर्ष 2024 के उत्तरार्द्ध में मानव मिशन भेजा जाएगा। मिशन के क्लेश लैंडिंग और चंद्रयान मिशन को लेकर सावधानियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत के चंद्रयान मिशन में कक्षीय आरोहण विधि से भेजा गया है। इसलिए इसमें प्रतिरोध कम होने के कारण ऊर्जा की खपत कम हो रही है और चंद्रमा के बहुत नजदीक आने के

बाद ही वर्टिकल लैंडिंग करेगा और इस बार उसकी बांडी में सुरक्षा के सभी उपाय किये गये हैं जिससे इस मिशन की विफलता की संभावना ना के बराबर है।

गृह मंत्रालय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शिकायतें मिली हैं। इनमें से 46,643 शिकायतें सिर्फ गृह मंत्रालय अफसरों के खिलाफ हैं। देवेन्द्र यादव दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में ए. आई.सी.सी. स्क्रॉनिंग कमेटी के सदस्य हैं और उत्तराखण्ड के प्रभाव हैं।

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सी.बी.आई. जांच का आदेश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि शिक्षक भर्ती घोटाले और नगर पालिका भर्ती घोटाले के बीच एक संबंध प्रतीत होता है। मामले की जांच सी.बी.आई. और ई.डी. कर रही है। जांच की जद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं तुणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद अभिषेक बनर्जी भी आ गये हैं।

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। सरकार चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर आत्मविश्वास से भरी है और उसका लक्ष्य अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत अंतरिक्ष में पहली बार मानव मिशन भेजना है जिसके पहले एक कुत्रिम मेधा रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र पर लगे गोपनीयता के पर्दे

को उतार कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिया है जिससे इस क्षेत्र में नयी तकनीक और नयी प्रतिभाएं लाने का मार्ग खुल गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि इस समय तक 350 से अधिक स्टार्ट अप्स अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति करने के प्रस्ताव दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में बहुत तेजी आयी है और आज हम विश्व की महाशक्तियों के बराबरी के स्तर पर पहुंच गये हैं।

इसरो इसके लिए स्टैप बाई स्टैप आगे बढ़ने का मिशन शुरू करने जा रहा है, पहला स्टैप-2023 के अंत में मानवरहित स्पेस मिशन, दूसरा स्टैप-2024 की शुरुआत में स्पेस में रॉबोट मिशन तथा तीसरा स्टैप-2024 के आखिरी महीनों में मानवयुक्त स्पेस मिशन

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को करीब 28 सप्ताह के अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी.जी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आदेश पारित करते कहा कि विवाह के बाद गर्भधारण खुशी का अवसर होता है, लेकिन यौन उत्पीड़न के बाद यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीठ ने 25 साल की एक महिला की याचिका से संबंधित मैडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिकाकर्ता से गर्भविस्था समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे मंगलवार को अस्पताल आने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को उसके जीवित रहने को

सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होंगी। इसके बाद सरकार कानून के अनुसार बच्चे को गोद लेना सुनिश्चित कर सकता है।

नई दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने एक दुष्कर्म पीड़िता को करीब 28 सप्ताह के अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति बी.जी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आदेश पारित करते कहा कि विवाह के बाद गर्भधारण खुशी का अवसर होता है, लेकिन यौन उत्पीड़न के बाद यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीठ ने 25 साल की एक महिला की याचिका से संबंधित मैडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिकाकर्ता से गर्भविस्था समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे मंगलवार को अस्पताल आने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को उसके जीवित रहने को